न्यायालय उपखण्ड अधिकारी टोडारायसिंह जिला टोंक (राज.)

मिसल नं. 261/2008

तारीख रजू 17.12.2008

आदेश दिनांक 24.9.2019

उनवान

1 फूलसिंह पुत्र लक्ष्मणा जाति खारोल निवासी श्रीरामपुरा तह० टोडा०

—वादी—

बनाम

1. नन्दा 2. गोपाल	पि० रामचन्द्र	जाति खारोल निवासी श्रीरामपुरा तहसील टोडारायसिंह
3. जगदीशी 4. रसाल	पुत्रियां रामचन्द्र	
5. कन्या पुत्री छोटू		

6. धीसी पत्नी रामलाल जाति खारोल नि० श्रीरामपुरा तह. टोडारायसिंह

7. भैरू पुत्र रामलाल उम्र 13 साल 8. सुल्तान पुत्र रामलाल उम्र 7 साल	नाबालिगान जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता धीसी देवी पत्नी रामलाल जाति खारोल नि. श्रीरामपुरा तहसील टोडारायसिंह

9. रामस्वरूप 10. बद्री 11. जगदीश 12. बाबू 13. रामकल्याण 14. हेमराज	पि० केसर	जाति खारोल निवासी श्रीरामपुरा तहसील टोडारायसिंह
15. गुलशा पत्नी केसर		

16. रामकल्याण 17. सीताराम	पि० छीतर	जाति खारोल निवासी श्रीरामपुरा तहसील टोडारायसिंह
18. रामजीलाल पुत्र छीतर (मृतक) (खारिज)		
19. रामी पुत्री छीतर		
20. सन्तरा पुत्री केसर		

21. तहसीलदार तहसील टोडारायसिंह

—प्रतिवादीगण—

दावा हस्तक्षेप, इन्द्राज दुरुस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा।

आदेश

वाद वादी का मुख्य रूप से कथन है कि आराजी खसरा नम्बर 2164/0.16, 2577/0.70, 2578/0.04, 2585/1.98, 2630/0.30, 2672/0.49, 2702/0.125, 2703/0.22, 2704/0.18, 2751/1.07, 2841/0.15, 2842/0.16, 2843/0.40, 2845/0.38, 2846/0.01, 2847/0.06, 2848/0.39, 2849/0.46, 2850/0.47, 2875/0.12, 2876/0.32, 4164/0.84, 4180/0.33 कुल किता 23 रकबा 9.48 है० वाके ग्राम श्रीरामपुरा तहसील टोडारायसिंह में स्थित है। जो वादी व प्रतिवादीगण के पूर्वज ओंकार के जमाने की बनाई

बसाई हुई है। वादी व प्रतिवादीगण की पैतृक आराजियात है जिसमें वादी का 1/4 हि०, प्रतिवादीगण नं. 1 लग4 का 1/4 हि०, प्रतिवादिया नं. 5 का 1/4 हि० व प्रतिवादी नं. 6 लग 20 का 1/4 हिस्सा है। वादी व प्रतिवादीगण मौके पर आराजियात मुतदाविया को अपने-अपने हक हिस्से के अनुसार मौके पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। वादी अपने 1/4 हिस्से की आराजियात पर काश्त कर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है।

उक्त आराजियात ओंकार के बाद उसके चारों पुत्र वादी के पिता लछमणा व रामचन्द्र, छोटू, केसर के नाम बहिस्सा बराबर प्रत्येक के 1/4 हिस्सा दर्ज हुआ एवं लछमणा के फौत होने के बाद उसकी हक हि० 1/4 की आराजियात वादी की मां बरदी बेवा लछमणा के नाम जरिये नामान्तकरण सं. 106 दि० 1.6.1992 को दर्ज किया गया, वादी अब भी साबिक राजस्व रिकार्ड के अनुसार मौके पर अपने 1/4 हिस्से पर काबिज काश्त करता चला आ रहा है।

तहसील रेवदर/पिंडवाड़ा में विगत समय में भू-प्रबन्ध की कार्यवाही के दौरान उक्त साबिक आराजियात के हाल खसरा नम्बर जो कि वाद ग्रस्त आराजियात बनाये गये हैं कानूनन सेटलमेन्ट अधिकारियों को साबिक राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रविष्टि के अनुरूप ही हाल राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज करनी चाहिए थी परन्तु उन्होंने ऐसा नहीं कर अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर वादी के पिता व माँ के नाम साबिक रिकार्ड में दर्ज 1/4 हि० को हाल राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं किया एवं गलत एवं अवैधानिक रूप से रामचन्द्र के वारिस प्रतिवादी नं. 1 लग4 का 1/3 हि०, छोटू की वारिस प्रतिवादिया नं. 5 का 1/3 हि०, व केसर के वारिस प्रतिवादीगण का 1/3 हि० दर्ज कर दिया जो गलत है। उक्त सभी का 1/3 हिस्से के स्थान पर 1/4 हिस्सा दर्ज होना चाहिए था तथा 1/4 हिस्सा वादी के दर्ज होना चाहिए था। वादी वादग्रस्त आराजियात में साबिक रिकार्ड के समान हाल रिकार्ड में अपने पिता लछमणा का 1/4 हि० को अपनी खातेदारी में दर्ज करवाकर राजस्व रिकार्ड में तदनुसार इन्द्राज दुरुस्ती करवाने का अधिकारी है। वादी ने दि० 10.12.2008 को प्रतिवादीगण को वादग्रस्त आराजियात में अपना हिस्सा दर्ज करवाने के लिए कहा तो प्रतिवादीगण ने इन्कार कर दिया जिस पर यह वाद पेश करना आवश्यक हुआ। विनाहमूल दिनांक 10.12.2008 को प्रतिवादीगण द्वारा राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती

करवाने से इन्कार करने व वादी के कब्जे काश्त व हक हिस्से में बैजामदाखलत करने की धमकी देने पर उत्पन्न होकर दावा वादी अन्दर मियाद पेश है। सहखातेदार ढाबा फौत हो चुकी है जिसके वारिस प्रतिवादी नं. 1 लगा. 5 है, रामलाल पुत्र केसर भी फौत हो चुका है जिसके वारिस प्रति० नं. 6 लगा० 8 है तथा आशा पुत्री केसर भी फौत हो चुकी है जिसके वारिस प्रतिवादीगण 16 लगा० 19 है।

अतः दावा वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया आराजियात मुतदाविया में वादी को 1/5 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जाकर तदनुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरुस्ती फरमाई जावे एवं साबिक राजस्व रिकार्ड के अनुरूप वादी के पिता व माँ के स्थान पर हाल राजस्व रिकार्ड में 1/5 हिस्से की खातेदारी वादी के नाम दर्ज फरमाई जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जावे कि वे उक्त वादग्रस्त आराजियात वाके ग्राम श्रीरामपुरा तहसील दांतारामगढ़ में वादी के हक हिस्से व कब्जे काश्त की आराजियात हि० 1/5 में बैजामदाखलत नहीं करें। जबरन वादी को बेदखल कर स्वयं कब्जा काश्त नहीं करें, आराजियात में गलत रूप से दर्ज हक हिस्से के अनुसार आराजियात को अन्तरण मुन्तकिल नहीं करें वादी के उपभोग उपयोग व कब्जे काश्त में बैजामदाखलत नहीं करें।

वाद वादी पेश होने पर तलबी प्रतिवादीगण जरिये सम्मन की गयी। प्रतिवादीगण नं. 1 लगा. 15 की ओर से जवाब पेश कर कथन किया कि आराजियात मुतनाजा तनाजा मिन प्रतिवादीगण के पूर्वजों बनायी बसायी हुई है। मिन प्रतिवादीगण के पूर्वज के औलाद में मात्र चार लड़के लक्ष्मणा, छोटू, चन्दा व केसर हुए। लक्ष्मणा नाऔलाद फौत हुआ है। जिसके एक औरत बरदी नाते आई थी जो अपने साथ पूर्व पति बलदेव की सन्तान फूलसिंह को साथ में लेकर आयी थी। जिसका सम्पत्ति मुतनाजा में कोई हक हिस्सा नहीं बनता है नाही कानूनन वह किसी प्रकार का हक व हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी है। इसलिए फूलसिंह का ही जब उक्त आराजियात में कोई हक हिस्सा नहीं बनता है तो उसने यह वाद जो आराजियात को गलत रूप से उसकी बैवक बताते हुए पेश किया है वो प्रथमदृष्टया ही गलत है। फूलसिंह का आराजियात मुतनाजा से किसी प्रकार का सरोकार वास्ता नहीं है। आराजियात मुतनाजा से औंकार के शेष तीनों पुत्र छोटू, चन्दा व केसर के वारिसान ही सरोकार वास्ता रखते हैं और वे ही खातेदार काबिज काश्तकार हैं।

छोटू के मात्र एक पुत्री कन्या जायन्दा वारिस है तथा केसर के रामलाल, रामस्वरूप, हेमराज, बद्री, जगदीश, बाबू, रामकन्या, इन्द्रा वारिस है तथा आराजियात मुतनाजा में छोटू के वारिसान का 1/3 हि०, चन्दा के वारिसान का 1/3 हि० व केसर के वारिसान का 1/3 हि० है और इसी अनुसार मौके पर काबिज काश्त है और लाभांश प्राप्त करते आ रहे है। फूलसिंह जो वादी का पिता है उसने भी इन प्रतिवादीगण के विरुद्ध उक्त आराजियात के बाबत ही एक वाद दिलखुश बनाम फूलसिंह भी एक वाद अपने पुत्र से पेश करवा रखा है जो भी इसी आराजियात बाबत व इन्हीं प्रतिवादीगण के विरुद्ध ही पेश कर रखा है जिससे भी यह वाद प्रथम दृष्टया चलने योग्य नहीं है। वादी फूलसिंह बलदेवा का पुत्र है इसलिए वादी का इन प्रतिवादीगण से किसी किस्म का कोई पारिवारिक सम्बन्ध नहीं है आराजियात को गलत ढंग से हड़पने की गरज से वादी ने इन प्रतिवादीगण के पूर्वजों से झूठा संबंध बताकर यह दावा पेश किया है जो प्रथम दृष्टया ही खारिज योग्य है अतः दावा वादी मय हर्जे खर्चे खारिज फरमाया जावे।

इसी प्रकार हमशीता वाद दिलखुश बनाम फूलसिंह वगैरह में तहसीलदार (प्रतिवादी) लैण्ड होल्डर की ओर से पैरोकार सरकार नायब तहसीलदार येडाएनसिंह ने जवाब के साथ रिपोर्ट पटवारी हमीरपुर व मौका रिपोर्ट ग्राम श्रीरामपुरा दि 5.11.2009 पेश कर निवेदन किया कि फूलचन्द लक्ष्मण का असली पुत्र न होकर इसकी मां बरजी के साथ गेलड़ आया मुताबिक पटवारी हल्का हमीरपुर रिपोर्ट जाहिर होता है दावा स्वीकार योग्य नहीं है। रिपोर्ट पटवारी हल्का में स्पष्ट उल्लेख किया कि ग्राम श्रीरामपुरा के मौतबिरान व्यक्तियों के द्वारा पूछताछ करने पर बताया कि यह गांव प्रथा है आने वाली औरत के साथ 8 माह का फूलसिंह साथ लेकर आयी थी। जो फूलसिंह के पिता बलदेव खाटेलू था। जो दिल्ली में खाने कमाने के लिए गया हुआ बताया जो वहां से लक्ष्मण नाते लेकर आया था जिसके साथ 8 माह का बच्चा आया था। ग्राम वासियों के मुताबिक यह मां के साथ गेलड़ आया है इसी तरह मौका पर्चा दिनांक 15.11.2009 में उल्लेख किया कि ग्राम श्रीरामपुरा में ग्राम वासियों ने बताया कि लक्ष्मण पुत्र ओंकार खाटेल की शादी

शुदा औरत का नाम सुन्दर था। जो शादी के कुछ दिनों बाद ही फौत हो गई जिसके कोई सन्तान पैदा नहीं हुई। तत्पश्चात 20 वर्ष बाद लक्ष्मण खारोल ने एक दूसरी औरत जिसका नाम बरदी था जो नाते प्रथा से नाते ले आया। एवं नाते वाली औरत के साथ 8 माह का बच्चा जिसका नाम फूलचन्द पुत्र बलदेव खारोल नाते आने वाली मां के साथ आया था। यह लक्ष्मण पुत्र औंकार की औलाद नहीं है यह गेलड़ आया हुआ है।

वादी नें वाद पत्र के समर्थन में नकल जमाबंदी खाता सं. 38 सम्वत 2063-66 वाके ग्राम हमीरपुर प्रदर्श 1, नकल मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2050-2069 प्रदर्श 2, नकल साबिक जमाबंदी सम्वत 2036-39 खाता सं. 550 प्रदर्श 3 पेश किये तथा बयान फूल सिंह, धर्मा उर्फ धर्मीचन्द, रामस्वरूप के करवाये।

प्रतिवादी नें जवाब के समर्थन में अन्त्योदय योजना चयनित लिस्ट ग्राम पंचायत हमीरपुर प्रदर्श D1, पेश किया तथा बयान रामस्वरूप खारोल के करवाये गये।

बहस अभि० अध्यक्ष सुनी गयी। जो अभि० वादी की बहस मुख्य रूप से वाद पत्र के अनुसार रही तथा प्रतिवादी की बहस जवाब के अनुसार रही। अभि० प्रतिवादीगण नें अपने तर्कों के समर्थन में RRT 2005(1) पेज 593 का हवाला दिया।

हमनें पत्रावली का अवलोकन किया बहस पर मनन किया बाद्ग्रस्त आराजियात मुताबिक नकल जमाबंदी खतौनी सं. 38 जमाबन्दी सम्वत 2063-2066 वाके ग्राम हमीरपुर प्रदर्श 1 के अनुसार प्रतिवादीगण के नाम खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। जो साबिक रिकार्ड नकल जमाबंदी सम्वत 2036 से 2039 खाता सं. 550 प्रदर्श 3 के अनुसार लक्ष्मणा रामचन्द्र छोटू केसर पि. औंकार के नाम दर्ज रिकार्ड थी लक्ष्मणा के फौत होने पर उसके 1/5 हिस्से की आराजियात उसकी पत्नी बरदी के नाम विरासत में दर्ज हुई तथा रामचन्द्र, छोटू, केसर के फौत होनें पर उनके हिस्सों का आराजियात उनके वारिसान प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हुई। वादी अपनें आप को मृतक लक्ष्मणा का जायन्दा पुत्र बताकर वाद लाया है जबकि प्रतिवादीगण का कथन है कि वादी लक्ष्मणा का जायन्दा पुत्र नहीं होकर उसकी मां बरदी जब लक्ष्मणा के नाते आई थी तब मात्र आठ माह का था जो गेलड़ आया था। वादी फूल सिंह लक्ष्मणा का

का पुत्र नहीं होकर बरदी के पूर्व पति बल्देव का पुत्र है। बरदी नाते आई तब फूल सिंह गेलड़ आया था। गेलड़ को कानूनन वाद ग्रस्त आराजियात में कोई हक हकूक हासिल नहीं होते है। इस जीता वाद किलखुआ बनाम फूलसिंह वगै० में प्रतिवादी सरकार ने भी अपने जवाब दावे में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि फूलसिंह लछमणा का नायन्दा पुत्र नहीं होकर बल्देव का नायन्दा पुत्र है वह 8 माह की आयु में अपनी मां बरदी के साथ गेलड़ आया था। विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक सिद्धान्त RRT 2004(1) 593 में माननीय राजस्व मण्डल में "गेलड़" को पुत्र नहीं माना गया है। उसको पुत्र के आधार पर हक अधिकार उत्पन्न नहीं होते है। प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज अन्त्योदय योजना चयनित सूची ग्राम पंचायत हमीरपुर पृष्ठ D1 में क्रमांक 192 पर फूल्या/बल्देवा खारोल दर्ज है। जाहिर है कि वादी फूलसिंह बल्देवा का पुत्र है। वह लछमणा का पुत्र नहीं होकर बरदी जब नाते आई तब उसके साथ गेलड़ आया था और कानून में "गेलड़" को पुत्र नहीं माना गया है। उसे पुत्र के आधार पर कोई हक हकूक हासिल नहीं होते है। इस प्रकार वादी का वाद प्रमाणित नहीं होने के फलस्वरूप खारिज योग्य है। प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत रूलिंग चस्पा होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी खारिज किया जाता है। पक्षकार अपना 2 वहन करेंगे। डिक्री जारी हो। खर्चा फैसल

आदेश आज दिनांक 24/9/19 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. सूरजसिंह नेगी)
RAS
उपखण्ड अधिकारी
टोडारायसिंह